5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

नकल आदेश दिनांक ३१-१२-१२
न्यायालय असि. कले. प्र. श्रे./
उपजिलाधिकारी हसनपुर
शामिल वाद संख्या ५/१२
धारा १४३ ज.वि. एवं भूमि व्यव. अधि.
ग्राम- बांदपुर तहसील व परगना हसनपुर
एस. एस. विद्यापीठ ग्राम बांदपुर द्वारा
चैयरमैन डा. सुनील कुमार-
बनाम – सरकार
संलग्न आदेश की छायाप्रति

कार्यालय उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट हसनपुर जनपद अमरोहा

न्यायालय असि०कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/उपजिलाधिकारी हसनपुर(अमरोहा)

वाद सं०04/2012 धारा 143 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्य० अधिनियम

ग्राम बांहपुर तहसील व परगना हसनपुर

एल०एस० विद्यापीठ ग्राम बांहपुर द्वारा चेयरमैन डा० सुनील कुमार बनाम सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद एल०एस० विद्यापीठ ग्राम बांहपुर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा द्वारा चेयरमैन डा० सुनील कुमार पुत्र जसपालसिंह नि०770-ए/7 जागृति विहार मेरठ योजित किया गया, जिसमें कहा हैं कि प्रार्थी ग्राम बांहपुर की भूमिगाटा सं०220मि०/1/0.070(676)हे० लगान 9-75रूपए का संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील आराजी है उक्त भूमि कृषि कार्य नहीं हो रहा है । वादी भूमि गाटा सं०220मि०/1/0.676हे० को अकृषिक भूमि घोषित किए जाने का अनुरोध किया हैं, जिस पर राजस्व निरीक्षक उझारी से आख्या मंगाई गई। राजस्व निरीक्षक उझारी तहसील हसनपुर ने अपनी आख्या दिनांक09-12-12 में कहा है कि गाटा सं०220मि०/1/0.676हे०लगान 9.75 रूपए स्कूल निर्माण करने हेतु क्रय की गई चेयरमैन डा० सुनील के द्वारा उक्त भूमि को स्कूल के प्रयोजन में लेने से पूर्व ही भूमि को उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्य० अधिनियम 1952 के अन्तर्गत धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराना चाहते है, जो नियमानुसार सही प्रतीत होता है । उक्त भूमि कोअकृषिक भूमि घोषित किए जाने का अनुरोध/ हेतु आख्या प्रेषित की गई है ।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व निरीक्षक उझारी की आख्या दिनांक 9-12-12 का अवलोकन किया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक उझारी द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः ग्राम बांहपुर के खाता सं०64 गाटा सं०220मि०/1 रकबा0.676हे० लगान 9-75रूपए को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । लगान समाप्त किया जाता है। खतौनी के विशेष विवरण में अकृषिक भूमि खातेदार का नाम यथावत दर्ज रहेगा । खतौनी के ... अंकित हों । इस आदेश की एक एक प्रति अनुपालनार्थ तहसीलदार एवं उपनिबंधक हसनपुर को भेजी जाए । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

Ru 21.12.12

(रतीराम)
असि०कलेक्टर(प्र०श्रेणी)/
उपजिलाधिकारी हसनपुर।

आज दिनांक 21-12-12 को यह आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा न्यायालय की मुद्रा के अधीन हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया ।

Ru 21.12.12

(रतीराम)
असि०कलेक्टर(प्र०श्रेणी)/
उपजिलाधिकारी हसनपुर।

आवश्यक

क्र० सं० 674 दिनांक 21-12-2014

प्रार्थी का नाम ...

शब्द 300 लगभग/टिकट 4/1700

तैयार का दिनांक 22-12-2012

नकल जारी करने का दिनांक 22-12-2012

नकलकर्ता के ह० ....

मिलानकर्ता के ह० ....

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट हसनपुर जनपद अमरोहा

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

पेशकार
उपजिलाधिकारी हसनपुर

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

नकल आदेश दिनांक 11-6-14 —
न्यायालय असि० मजि० प्र०श्रे०/ —
उपजिलाधिकारी हसनपुर
शामिल वाद संख्या T2014133803255
धारा 143 ज० वि० एवं भूमि व्य० अधि०
ग्राम बांहपुर तहसील व परगना
हसनपुर
मुद्दई राजकेशवानंद — बनाम — ग्राम
सभा — संगत — आदेश की छायाप्रति

कार्यालय उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जनपद अमरोहा

न्यायालय असि0 कलैक्टर (प्र0श्रेणी)/उपजिलाधिकारी हसनपुर,जनपद -अमरोहा

वाद सं0–टी–2014133803252 धारा–143 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

ग्राम–वांहपुर तहसील व परगना हसनपुर

बुद्धा एजूकेशनल बनाम ग्राम सभा

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री बुद्धा ऐजूकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट 778ए /7 जागृति विहार मेरठ द्वारा चैरमेन डा0 सुनील कुमार पुत्र जसमाल सिहं निवासी 778ए/7 जागृति विहार मेरठ द्वारा इस आश्य से योजित किया है कि प्रार्थी ग्राम वांहपुर तहसील हसनपुर की भूमि 146 के गाटा सं0 220/2 क्षेत्रफल 1–351हे0 मे से 0–501हे0 भूमि का सक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है और यह भूमि आवादी के प्रयोग में आ रही है। वादी ने इस भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया हैं ।

राजस्व निरीक्षक से आख्या ली गयी राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 22.5.14 के अनुसार ग्राम वांहपुर स्थित भूमि गाटा सं0 220/2 क्षेत्रफल 1–351हे0 मे से 0–501हे0 भूमि कों कृषि प्रयोग में नही लिया जा रहा है। मौके पर चार दिवारी व भवन आदि , आवादी वनी है। इसलिए उक्त भूमि का लगान 19–50 रुपये मे से 7–25रुपये को समाप्त कर 0–501हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की है।राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 22.5.14 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती।ऐसी स्थिति मे वाद ग्रस्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः ग्राम वांहपुर तहसील हसनपुर की भूमि खाता 146 के गाटा सं0 220/2 रकवा 0.501 हे0 लगान 7–25 रुपये को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। लगान समाप्त किया जाता है। खतौनी के विशेष विवरण में अकृषिक भूमि अंकित हो। खातेदार का नाम यथावत् दर्ज रहेगा ।इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ तहसीलदार हसनपुर एवं उप निबन्धक हसनपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-6-14

(रतीराम)

असि0कलेक्टर(प्र0श्रेणी)/

उपजिलाधिकारी हसनपुर

यह आदेश आज दिनांक–11–6–2014 को न्यायालय की मुद्रा के अधीन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

11-6-14

(रतीराम)

असि0कलेक्टर(प्र0श्रेणी)/

उपजिलाधिकारी हसनपुर

अर्जेन्ट

क0 सं0 1-7 दिनांक 12-6-2014

प्रार्थी का नाम ...

शब्द 300 ...लगभग/टिकट 13-00

तैयार का दिनांक 13-6-2014

नकल जारी करने का दिनांक 13-6-2014

नकलकर्ता के ह0 ......

मुलनाकर्ता के ह0 ......

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट ... अमरोहा

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

पेशकार

उपजिलाधिकारी हसनपुर